

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्बदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा  
केम्प कोर्ट बिलाड़ा

व इजलास हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादी

बालुराम उर्फ लाबूराम  
पुत्र मंगाराम उम्र वर्ष  
जाति सरगरा निवासी  
मालकोसनी, तहसील  
बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

1. श्रीमति सायरी पत्नी स्व.  
श्री गुणेशराम  
जाति सरगरा निवासी सोजती गेट  
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
2. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेसी एक्ट  
बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरुस्ती

राजस्व वाद संख्या :- 02/2017

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4, तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 6026/52 रकबा 02 बीघा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज लाबूराम पुत्र मंगाराम के स्थान पर बालुराम पुत्र मंगाराम की खातेदारी की घोषित की जाती है।



सहायक कलेक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.06.2017 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा